न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 29 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 124

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
राजस्थान सरकार जरिये, विरेन्द्रसिंह जाखड़ प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. आन्नदीलाल पुत्र परमेश्वरलाल निवासी मीठड़ी तहसील लाडनूं

अपील अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

उपस्थित :–

1. अपीलांट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री रामावतार पूनियां
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जमनलाल जांगिड

—: निर्णय :—

दिनांकः 13.02.2024

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. के तहत सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.12.2022 को उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं के नेतृत्व श्री विरेन्द्रसिंह जाखड़ प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री ओमप्रकाश नायब तहसीलदार द्वारा घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम की सूचना पर श्री आनन्दीलाल पुत्र श्री परमेश्वरलाल के सालासर डीडवाना रोड़ मैन बाजार मीठड़ी स्थित नोहरे(बाड़ा) पर आकस्मिक जांच की गई। वक्त जांच मौके पर 7 घेरलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण पाया गया। श्री आन्नदीलाल से उक्त सिलेण्डरों के बारे मे पूछताछ करने पर बताया कि ग्राम में विभिन्न ढ़ाणी खेतों में रहने वाले लोग अपनी डायरियां उनकी दुकान पर रखकर चले जाते है कि जब सिलेण्डर की आपूर्ति आये तो उनका भी सिलेण्डर उतरवायें और उनके वहां से उपभोक्ता अपना सिलेण्डर ले जाते है। मौके पर श्री आन्नदीलाल ने दो उपभोक्ताओं की डायरियां भी दिखाई। श्री सुनीलकुमार पुत्र श्री चांदमल ने बताया कि वो किसी कार्य से बाहर गया था और उन्होंने अपनी डायरी व सिलेण्डर श्री आन्नदीलाल को भरवाने हेतु दिया था। श्री आन्नदीलाल से घरेलूं गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने इनके पास गैस के भण्डारण व उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नही होना स्वीकार किया। मौके पर उपस्थित श्री आन्नदीलाल द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर 7 घरेलू गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं. सं.	नाम कम्पनी	आर.[illegible]	गैस वजन
1	बीपीसीएल	2969[illegible]	खाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.02.27 10:37:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

2	एचपीसीएल	473232-T	14.2 किग्रा
3	एचपीसीएल	203126-J	14.2 किग्रा
4	एचपीसीएल	875520	14.2 किग्रा
5	एचपीसीएल	423328-S	14.2 किग्रा
6	एचपीसीएल	866287-T	14.2 किग्रा
7	एचपीसीएल	219195	14.2 किग्रा

उपरोक्त 7 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स रींगण इण्डेन ग्रामीण वितरक के प्रतिनिधि श्री महावीरप्रसाद की सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार श्री आन्नदीलाल का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

3. रेस्पोडेन्ट आनन्दीलाल पुत्र परमेश्वरलाल द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा श्रीमान् नायब तहसीलदार, निम्बी जोधा के द्वारा कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी से 07 सिलेण्डर रिक्त व भरे हुए भिन्न–भिन्न कम्पनी के एवं भिन्न–2 वितरक एजेन्सी के जब्त कार्यवाही किये जिसमें एक सिलेण्डर बीपीसीएल कम्पनी एस.आर.नं. 296939 टी रिक्त सिलेण्डर का वजन 15.5 किग्रा गैस का वजन रिक्त(00) कुल वजन 15.5 किग्रा उपभोक्ता क्रमांक 56381728 उपभोक्ता का नाम सुनील कुमार पुत्र स्व. श्री चांदमल जाति अग्रवाल निवासी मीठड़ी तहसील लाडनूं का है, जो किसी कार्य से बाहर जाने के कारण यहां भरवाने हेतु रखा था। चांदमल का निवास के बारे में शपथ–पत्र संलग्न है। उक्त सिलेण्डर शिवम् ऑयल गैस सर्विस, लाडनूं का है। एक सिलेण्डर एचपीसीएल कम्पनी एस.आर.नं. 473232 टी रिक्त सिलेण्डर का वजन 15.5 किग्रा गैस का वजन 14.2 किग्रा कुल वजन 29.7 किग्रा उपभोक्ता क्रमांक 412053 उपभोक्ता का नाम हनुमानाराम पुत्र श्री मोटाराम जाति जाट निवासी लाछड़ी का है, जिसका घर उक्त विवादित घटना स्थल (नोहरा) से 3–3 1/2 किलोमीटर पड़ता है। उक्त सिलेण्डर वितरक अरूण गैस एजेन्सी, सुजानगढ़ का है। एक सिलेण्डर एचपीसीएल कम्पनी एस.आर.नं. 203126 टी रिक्त सिलेण्डर का वजन 15.5 किग्रा गैस का वजन 14.2 किग्रा कुल वजन 29.7 किग्रा उपभोक्ता क्रमांक 632587 उपभोक्ता का नाम कन्हैयालाल पुत्र स्व. श्री चौथमल जोशी निवासी जोशी जी की ढ़ाणी, मीठड़ी जो वितरक देव गैस एजेन्सी का है। उक्त उपभोक्ता का घर विवादित स्थान से 2 1/2 किलोमीटर दूर पड़ता है। एक सिलेण्डर एचपीसीएल कम्पनी एस.आर.नं. 875520 टी रिक्त सिलेण्डर का वजन 15.8 किग्रा गैस का वजन 14.2 किग्रा कुल वजन 30.0 किग्रा उपभोक्ता क्रमांक 411554 उपभोक्ता का नाम राधेश्याम पुत्र स्व. श्री चौथमल जोशी निवासी जोशी जी ढ़ाणी, मीठड़ी, जो वितरक अरूण गैस एजेन्सी, सुजानगढ़ का है। उक्त ढ़ाणी गांव से 2 1/2 किलोमीटर दूर पड़ती है। दो सिलेण्डर एचपीसीएल कम्पनी एस.आर.नं. 473232 एस रिक्त सिलेण्डर का वजन 15.7 किग्रा गैस का वजन 14.2 किग्रा कुल वजन 29.9 एवं दुसरा सिलेण्डर एचपीसीएल कम्पनी एस.आर.नं. 866287 टी रिक्त सिलेण्डर का वजन 15.7 किग्रा गैस का वजन 14.2 किग्रा कुल वजन 29.9 किग्रा दोनो का उपभोक्ता क्रमांक 629185 उपभोक्ता का नाम पुष्पा देवी पत्नी स्व. श्री परमेश्वरलाल जाति अग्रवाल ग्राम मिठड़ी जो वितरक देव गैस एजेन्सी, सीकर के है। उक्त उपभोक्ता अप्रार्थी की माता होने एवं अप्रार्थी माता का एकल पुत्र होने से एवं अप्रार्थी की माता अप्रार्थी के साथ रहने से उक्त सिलेण्डर अप्रार्थी के कब्जा व आधिपत्य में ही रहती है, जो अप्रार्थी के निजी होने से उपयोग व उपभोग अप्रार्थी की करता है। एक सिलेण्डर एचपीसीएल कम्पनी एस.आर.नं. 219195 रिक्त सिलेण्डर का वजन 15.8 किग्रा गैस का वजन 14.2 किग्रा कुल वजन 30.0 किग्रा उपभोक्ता क्रमांक 410[illegible] उपभोक्ता का नाम आनन्दी लाल पुत्र स्व. श्री परमेश्वरलाल जाति अग्रवाल निवासी मीठ[illegible] तहसील लाडनूं का है, जो सिलेण्डर अप्रार्थी की रसोई से चाय बनाती कहते पकड़ा गया, जो अन[illegible] में नहीं बताया। अरूण गैस एजेन्सी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.02.27 10:37:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

सुजानगढ़ का है। इस प्रकार कुल 7 सिलेण्डर जब्त किये गये है, जिसमें से तीन सिलेण्डर अप्रार्थी की मां व स्वयं के है और चार सिलेण्डर अन्य के है, जिसका उक्त बाड़ा/नोहरा में मिलने का कारण ढाणी व दुर दराज में उपभोक्ता का घर होना है। उक्त चारों उपभोक्ता ढाणी एवं दूर–दराज मे रहते है, गैस एजेन्सी की सप्लाई गाड़ी दूर–दराज की जगह एवं ढाणियों में सप्लाई देने नहीं जाती, क्योंकि वहां जाने के लिए सड़के व रास्ते सीधे नहीं है, जिससे गाड़ी का आवागमन नहीं हो सकता, इसलिए उपभोक्ता मजबुरी में इस जन सेवा के रूप में अप्रार्थी का सहारा ले रहे है, वे अप्रार्थी की दुकान पर डायरिया रख जाते है, जब गैस कि आपूर्ति होती है तो वह आकर अपना भरा हुआ सिलेण्डर व डायरी ले जाते है, उक्त प्रकार से आवश्यक वस्तु की पूर्ति में सहयोग किया जा रहा है। जिसका धारक से कोई शुल्क/कमीशन नहीं लिया जाता है। उक्त कृत्य जन हित एवं जन सेवा की श्रेणी का है कि अप्रार्थी किसी भी प्रकार से गैस का भण्डारण एवं व्यापार नहीं करता है। इसलिए अप्रार्थी को उक्त के संबंध में किसी भी प्रकार के दस्तावेज एवं अनुज्ञा–पत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आनन्दीलाल एक प्रतिनिधि की हैसियत से सेवा करता है। प्रवर्तन निरीक्षक ने टीम सहित कार्यवाही करते हुए उपभोक्ता सुनील कुमार को मौके पर तलब कर बयान लिये है, जिसमें सुनिल कुमार ने स्वयं ने उपरोक्त कारणों से ही वहां रिफलिंग हेतु डायरी व सिलेण्डर रखना स्वीकार किया है। इसलिए ही प्रवर्तन निरीक्षक ने उक्त कृत्य की प्रथम सूचना दर्ज नहीं करवाई है। परिवाद में यह तथ्य कहीं पर भी नहीं आया है कि जब्त सिलेण्डर का भण्डारण बेचने के उद्देश्य से किया हो और उक्त सिलेण्डर को बेचते हुए या बेचते वक्त जब्त करने की कार्यवाही की हो उक्त नोहरे में उपरोक्त जनहित कार्यवश अप्रार्थी द्वारा अपनन तीन सिलेण्डर को निकालने के बाद चार सिलेण्डर अन्य उपभोक्तओं के मिले हैं। जो भिन्न–भिन्न कम्पनियों के व भिन्न–भिन्न वितरक एजेन्सीयों के रिक्त व भरे हुए मिले है उक्त स्थिति में उक्त कार्य आवश्यक वस्तु के भण्डारण की श्रेणी में नहीं पाया जाता है और ना ही अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रतिबंधित वस्तु का व्यापार करते वक्त सिलेण्डर को जब्त किया जाना पाया गया है, अप्रार्थी ने उक्त कृत्य सेवा भाव/जनहित में करते हुए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सहयोग विश्वास के अधीन किया है। वितरक गैस एजेन्सीज ने अप्रार्थी को गैस की सप्लाई स्वयं ने की है, जो उपभोक्ता के द्वारा बुकिंग करवाने पर एवं उपभोक्ता की डायरी देने एवं खाली सिलेण्डर उपलब्ध करवाने पर की है। उपभोक्ताओं द्वारा उक्त के संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक को कोई शिकायत नहीं की है। ना ही आपूर्ति दाता वितरक कम्पनियों द्वारा कोई शिकायत की गई है। अप्रार्थी को वितरक गैस एजेन्सीज द्वारा गैस की आपूर्ति संबंधित उपभोक्ता की डायरी बावत इसकी दुकान पर की है। स्वयं अप्रार्थी कभी भी उक्त सिलेण्डर लाने नहीं गया है। वितरण गैस एजेन्सीयों द्वारा ही किया जाता रहा है। उक्त परिवाद में प्रवर्तन निरीक्षक ने यह कहीं भी आरोप नहीं लगाया है कि उक्त सिलेण्डर किसी अन्य वितरक एजेन्सीयों के है, जो यहां सप्लाई ही नहीं करती हों। जो बिना क्षेत्राधिकार के सप्लाई किये हुए मिले है कि जिन एजेन्सीज के सिलेण्डर मिले है उनके वितरक कर्मचारियों के बयान प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा नहीं लिये गये है। जो उक्त अपराध को साबित करने में महत्वपूर्ण साक्ष्य है। उक्त के अभाव में पूर्ण सत्यता का पता लगाने में प्रवर्तन निरीक्षक अनुसंधान अपूर्ण है। उक्त स्थितति मं प्रत्यक्ष या परिस्थिति जन्यवश दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव मे मामला सुनी सुनाई साक्ष्य पर होने से आवश्यक वस्तु की सप्लाई में बिना किसी दस्तावेज एवं अनुज्ञा–पत्र के गैस के भण्डारण कर बाधा डालने का नहीं पाया जाता है। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी उक्त रिपोर्ट में एवं अनुसंधान में कहीं भी कोई गलत रूप से सिलेण्डर देने एवं सिलेण्डर आपूर्ति में बाधा की कोई शिकायत प्राप्त होने का उल्लेख परिवाद में नहीं किया है और ना ही अपने अनुसंधान में यह दर्शित किया है कि [illegible] एजेन्सी के द्वारा उपभोक्ता को दिये गये है। जांच अधिकारी द्वारा की गई [illegible] पूर्ण दस्तावेज व गवाहो को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है एवं [illegible]। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पक्षपात के बिना अनुशासनात्मक जांच [illegible] रूप से आयोजित कर साक्ष्य के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.02.27 10:37:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

पर कार्यवाही की जानी चाहिये। उक्त प्रकरण में आरोपों को साबित करने में एक भी तथ्य एवं साक्ष्य पर्याप्त नहीं है।

4. अपीलांन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलान्ट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामावतार पूनियां ने अपील में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुऐ प्रकरण में 7 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confisacation) के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया है।

5. रेस्पोडेन्ट की ओर वकील जमनलाल जांगिड ने जवाब में प्रस्तुत किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुऐ अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त प्रकरण की कार्यवाही को न्यायहित में ड्रोप किये जाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं के नेतृत्व में दिनांक 17.12.2022 को घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम की सूचना पर आन्नदीलाल पुत्र परमेश्वरलाल के सालासर डीडवाना रोड़ मैन बाजार मीठड़ी स्थित नोहरे में मौके पर 7 घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण पाया गया। रेस्पोडेन्ट आन्नदीलाल से पूछताछ करने पर बताया कि ग्राम में विभिन्न ढाणी खेतों में रहने वाले लोग अपनी डायरिया उनकी दुकान पर रखकर चले जाते है कि जब सिलेण्डर की आपूर्ति आये तो उनका भी सिलेण्डर उतरवायें और उनके वहां से उपभोक्ता अपना सिलेण्डर ले जाते हैं, उक्त गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास गैस के भण्डारण व उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया है। मौके पर आन्नदीलाल द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर 7 घरलू गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए मौक पर जब्त सरकार कर मैसर्स रीगण इण्डेन ग्रामीण वितरक के प्रतिनिधि महावीरप्रसाद की सुपुर्दगी में दिये गये। रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा उक्त सिलेण्डर अन्य उपभोक्ताओं के होना बताया है। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में जब्तसुदा 7 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 7 घेरलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 13.02.2024 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

13/2/24
(बाल मुकन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.02.27 10:37:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner